



भा.कृ.अनु.प. —केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - Central Institute for Arid Horticulture

Sriganganagar Highway, Beechwal Ind. Area P.O., Bikaner (Raj.)-334006.

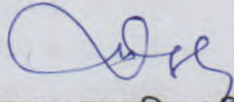
पत्रावली क्रमांक: 07(ii)10/CS/Auction of Farm Produce/2025-26/5988 -

दिनांक: 12/12/25

संस्थान प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डों में लगे 1295 बेर के पौधों में लगे हुए फलों की
खुली नीलामी (दिनांक: 19.12.2025 को सुबह 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्तें:-

1. संस्थान के फार्म के विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1295 बेर के पौधों में लगे हुए फलों की नीलामी की जानी है।
2. बेर के जिन फलों की नीलामी की जानी है, को संस्थान के प्रक्षेत्र के विभिन्न प्रखण्डों में चिन्हित किया गया है इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
3. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में ₹.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) जमा कराने होंगे।
4. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (50%) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता एवं संस्थान के मध्य अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर तुड़ाई कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुड़ाई कार्य शुरू किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
6. जिन पौधों में अनुसंधान कार्य चल रहा है उनकी तुड़ाई संबंधित अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति में ही करनी होगी।
7. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
8. संस्थान से कार्यादेश पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुड़ाई का कार्य कार्यादेश जारी होने के तीन माह या मार्च 2026 के अन्त तक में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नहीं रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
9. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं इसकी लिये संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में तकनीकी कर्मचारी की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5:30 बजे के मध्य ही संपन्न करना होगा। शनिवार एवं रविवार अथवा अवकाश के दिन फलों की तुड़ाई नहीं होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा, अन्यथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है। अवकाश के दिन गेट पास नहीं दिया जायेगा।

11. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 01 किग्रा बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
12. फलों की तुड़ाई, भंडारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
14. तुड़ाई अनुबंध के कार्य संपादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
15. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुनर्भतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) एवं बैंक खाते की जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
16. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. फार्म मेनेजर - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
12. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।



भाकृअनुप.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006
श्रीगंगानगर हाईवे, बीछवाल इन्डस्ट्रियल एरिया पोस्ट ऑफिस, बीकानेर (राज.)-334006
Email: ciah@nic.in AO/AAO 0151-2253123



बेर फलों की नीलामी सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान फार्म के विभिन्न प्रखण्डों में विभिन्न एवं विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1295 बेर वृक्षों में लगे हुए फलों की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय पर दिनांक 19.12.2025 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जावेगी। खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति ₹.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेबसाइट icar-ciah.org पर उपलब्ध है

सहायक प्रशासनिक अधिकारी